रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18012020-215544

CG-DL-W-18012020-215544

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 1] नई दिल्ली, जनवरी 5—जनवरी 11, 2020, शनिवार/पौष 15—पौष 21, 1941

No. 1] NEW DELHI, JANUARY 5— JANUARY 11, 2020, SATURDAY/PAUSHA 15—PAUSHA 21, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 1.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा भौतिक विज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा भौतिक विज्ञानी, भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि .—** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता .—** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा भौतिक विज्ञानी	04* (2019) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘क ’ राजपत्रित , अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु.56100-177500)	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	परिवीक्षा की अवधि ,यदि	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न

	विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	कोई हो	पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रेडियोलॉजिकल अथवा चिकित्सा भौतिकी में पोस्ट एमएससी डिप्लोमा और किसी मान्यता प्राप्त सुसज्जित विकिरण चिकित्सा विभाग में कम से कम बारह माह की प्रशिक्षुता । अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक मुख्य विषय के रूप में भौतिकी के साथ विज्ञान में मूल डिग्री और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रेडियोलॉजिकल अथवा चिकित्सा भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री तथा किसी मान्यता प्राप्त सुसज्जित विकिरण चिकित्सा विभाग में कम से कम बारह माह की प्रशिक्षुता ।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती होने वालों के लिए एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण :1**पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन छुट्टी पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा जो-: (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -9 (रु 53100-167800) अथवा स्तर-8 (रु 47600-151100) या समतुल्य में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) स्तंभ (7) में सीधे भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है ,तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**विभागीय पुष्टि समिति : निम्नलिखित से मिलकर बनेगी (पुष्टि हेतु)** 1. संयुक्त सचिव (अस्पताल), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष 2. उपनिदेशक सामान्य प्रभारी, चिकित्सा अस्पताल प्रभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली - सदस्य 3. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य 4. संबन्धित विभाग के अध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए. 11018/04/2018-एमएच-II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th December, 2019

G.S.R. 1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Physicist in Safdarjung hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Medical Physicist in Safdarjung hospital, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix.—**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualification.—**No person, --

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Medical Physicist	04* (2019) (*Subject to variation depending on workload)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500)	Not applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note** : The crucial date for determining the age-limit shall be advertised by Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Post Graduate degree in Physics from a recognised University plus Post M.Sc. Diploma in Radiological or Medical Physics from a recognised University and an internship of minimum twelve months in a recognised well equipped Radiation Therapy Department. Or A basic Degree in Science from a recognised University with Physics as one of the main subjects and A post graduate degree in Radiological or Medical Physics from a recognised University and an internship of minimum twelve months in a recognised well equipped Radiation Therapy Department.	Not applicable.	One year for Direct recruits.	By direct recruitment **Note 1:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from Officers of the Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or (ii) with two years regular service in the posts in level- 9 (Rs. 53100-167800) or level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Column (7). **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty -six years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation /absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental confirmation committee (for considering confirmation) consisting of:** 1.Joint Secretary (Hospital), Ministry of Health and Family Welfare -Chairman; 2. Deputy Director General in-charge of Medical Hospital Division, Directorate General of Health Services, New Delhi. -Member; 3.Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi -Member; 4. Head of concerned department , Safdarjung hospital, New Delhi -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F.No. A.11018/04/2018-MH-II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.